

राजस्थान सरकार

निदेशालय समेकित बाल विकास सेवाएं

क्रमांक: एफ.21(1) (से.नि.) वा.चा./स्था/आईसीडीएस/2017/7637-1/18 जयपुर, दिनांक: 9-1-18

आदेश

निम्नलिखित वाहन चालक कर्मचारियों की अधिवार्षिकी आयु 60 वर्ष पूर्ण होने के फलस्वरूप राजस्थान सेवा नियमों के नियम 56 के अन्तर्गत उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि को राज्य सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता है:-

क्र.सं.	नाम कर्मचारी	कार्यालय का नाम	जन्मतिथि	सेवानिवृत्त तिथि
1.	श्री भीम सिंह	उपनिदेशक, सिरौही	18.02.1958	28.02.2018
2.	श्री करुणेश चन्द्र चौबीसा	बाविपअ, गढी (बांसवाडा)	01.03.1958	28.02.2018
3.	श्री महेश चन्द्र शर्मा	निदेशालय आईसीडीएस, जयपुर	16.07.1958	31.07.2018
4.	श्री भंवर सिंह चौहान	बाविपअ, रेवदर (सिरौही)	11.07.1958	31.07.2018
5.	श्री रामसिंह मीना	बाविपअ, महवा (दौसा)	03.11.1958	30.11.2018

इनके विभागीय जांच बकाया नही होने का प्रमाण पत्र पृथक से जारी किया जावेगा।

उप निदेशक (प्रशासन)
समेकित बाल विकास सेवाएं
राजस्थान, जयपुर।

जयपुर, दिनांक: 9-1-18

क्रमांक: एफ.21(1) (से.नि.) वा.चा./स्था/आईसीडीएस/2017/7637-1/18
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निदेशक पेंशन विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. संयुक्त निदेशक, जयपुर/जोधपुर/भरतपुर/उदयपुर।
3. सहायक निदेशक (प्रशिक्षण)/सहायक प्रशासनिक अधिकारी, निदेशालय।
4. प्रोग्रामर, मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड हेतु।
5. उपनिदेशक, सिरौही/दौसा/बांसवाडा।
6. सम्बन्धित श्री.....वाहन चालक द्वारा निदेशालय/ उप निदेशक/बाल विकास परियोजना अधिकारी
7. व्यक्तिगत पत्रावली।
8. रक्षित पत्रावली।

उपनिदेशक (प्रशासन)
समेकित बाल विकास सेवाएं
राजस्थान, जयपुर।